न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :–यू0डी0खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 017/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– प्रार्थी

बनाम

1. शांति पत्नि किशनाराम, जाति दरोगा, सा0 देह निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. दयानन्द पुत्र किशनाराम, जाति दरोगा, सा0 देह निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. गोकुल पुत्र किशनाराम, जाति दरोगा, सा0 देह निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. धर्मपाल पुत्र किशनाराम, जाति दरोगा, सा0 देह निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. बिरजू पुत्र किशनाराम, जाति दरोगा, सा0 देह निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. किताब पुत्री किशनाराम, जाति दरोगा, सा0 देह निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. सरोज पुत्री किशनाराम, जाति दरोगा, सा0 देह निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. सिलोचना पुत्री किशनाराम, जाति दरोगा, सा0 देह निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की ओर से।

आदेश

दिनांक 29.10.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 284 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 676 रकबा 0.65 है0 किस्म बंजड 2 की गैर खातेदारी किशनाराम पुत्र मेघाराम, जाति दरोगा सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड हैः–

क.स.	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012–2015	194	15 बीघा 8 बिश्वा	बंजड़ दोयम	पाना मुस्तरका राजकीय हिस्सा 1/2 पाना संग्राम सिंह जी हिस्सा 1/2
3	2015–2018	194	15 बीघा 8 बिश्वा	बंजड़ दोयम	राजकीय
4	2017–2020	194	14 बीघा 2 बिश्वा	बंजड़ दोयम	राजकीय
5	2021–2024	194	2 बीघा	बंजड़	किशनाराम प0 मेघाराम, जाति चमार,

			11 बिश्वा	दोयम	निवासी ग्राम गैर खातेदार
6	2029–2032	194/4	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	किशनाराम प0 मेघाराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गैर खातेदार
7	2033–2036	194/4	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	किशनाराम प0 मेघाराम, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
8	2042–2045	194/4	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	किशनाराम प0 मेघाराम, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
9	2046–2049	194/4	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	किशनाराम पु0 मेघाराम, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
10	2060–2073	676	0.65 है0	बंजड़ 2	किशनाराम पु0 मेघाराम, जाति दरोगा, सा0 देह गैर खातेदार
11	2063–2066	676	0.65 है0	बंजड़ 2	किशनाराम पु0 मेघाराम, जाति दरोगा, सा0 देह गैर खातेदार
12	2062–2065	676	0.65 है0	बंजड़ 2	किशनाराम पु0 मेघाराम, जाति दरोगा, सा0 देह गैर खातेदार
13	2067–2070	676	0.65 है0	बंजड़ 2	किशनाराम पु0 मेघाराम, जाति दरोगा, सा0 देह गैर खातेदार
14	2071–2074	676	0.65 है0	बंजड़ 2	किशनाराम पु0 मेघाराम, जाति दरोगा, सा0 देह गैर खातेदार
15	2074–2077	676	0.65 है0	बंजड़ 2	किशनाराम पु0 मेघाराम, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012–2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे मे दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढ़गी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। विवादित भूमि श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी की हैसियत से से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना–पत्र बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थना–पत्र राजहक में पेश है अतः सभी प्रकार से शुल्कों से मुक्त रखने की कृपा करे। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 296 के अनुसार ग्राम कालीपहाड़ी में स्थित भूमि ख0न0 676 रकबा 0.65 है0 किस्म बंजड़ 2 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित मे दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा दिनांक 29.09.2021 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 194, 194/4 हाल खसरा नम्बर 676 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बंजड़ द्वितीय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि के

खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अप्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित नहीं है। वर्तमान समय में वादग्रस्त भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगिता के कार्य के लिए कार्य में नहीं ली जा रही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त की जा रही है। अप्रार्थीगण की आय का कोई स्त्रोत नहीं है केवल कृषि कार्य पर निर्भर है। वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली गई है अप्रार्थीगण के पूर्वज किशनाराम पुत्र मेघाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। इसके बाद अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है इस प्रकार अप्रार्थीगण व उनके पूर्वज नियमित रूप से आज तक राजस्व रिकार्ड पटवारी हल्का के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 9 के अनुसार अप्रार्थीगण की ओर से तत्कालीन तहसीलदार झुंझुनू के समक्ष वादग्रस्त कृषि भूमि आंवटित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु तहसीलदार झुंझुनू द्वारा राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की पालना नहीं की है। अप्रार्थीगण के पूर्वज किशनाराम की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त गैरखातेदारी कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी तहसीलदार ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौजूदा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इससे साबित होता है कि अप्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर लम्बे समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदारी अधिकार दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 676 रकबा 0.65 है0 किस्म बंजड 2 के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012–2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 194 की गैर खातेदारी किशनाराम पुत्र मेघाराम, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम आ रही है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड मे बंजड दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण वकील ने राजकीय अभिभाषक के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि मे मूंग–बाजरा काश्त हो रही है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। गिरदावरी मे भी काश्त का अंकन है। विवादित भूमि के क्रम मे फौतगी नामान्तरकरण भी भरा गया है। विवादित जमीन हमे सरकार ने दी है। विवादित भूमि पर हमारा लगातार कब्जा है। भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम मे नही आ रही है। अप्रार्थीगण को विवादित भूमि की खातेदारी दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 284 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 676 रकबा 0.65 है0 किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वज नाम से निरस्त कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया है तथा भूमि गैर खातेदारी को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में अप्रार्थीगण का तर्क यह

रहा है कि विवादित आराजी कभी सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली गई है। बल्कि आराजी प्रारम्भ से अप्रार्थीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके इस तर्क को सही माना जा सके की भूमि सार्वजनिक उपयोग भूमि रही है।

2. अप्रार्थीगण का दुसरा तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागु नहीं होते है क्योंकि विवादित आराजी ग्राम कालीपहाड़ी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 194 सम्वत् 2012 से वर्ष 2015 तक गैर खातेदारी में दर्ज रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में गोचर भूमि, नदी, तल अथवा तालाब तथा किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि को माना है। प्रकरण में विवादित आराजी किस्म बंजड़ द्वितीय दर्ज रही है, जो गैर खातेदारी में रही भूमि है। विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते है।
3. राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी सम्वत् 2021 से 2024 अर्थात 54 साल से अप्रार्थीगण के पूर्वज मालाराम पुत्र भजुराम के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रही है। जमीन की किस्म बजंड द्वितीय है तथा अप्रार्थीगण भूमि का कर दे रहे है। विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी में काश्त का अंकन है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा जबाब में विवादित आराजी की खातेदारी दिये जाने की गुजारिश की है। इस हेतु अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। आदेश की प्रति प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

29/10/2